

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 210]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 मार्च 2021 — फाल्गुन 25, शक 1942

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 02-23/2012/10-1/वन.— छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा नियम, 2014 में निम्नानुसार और संशोधन करते हैं, अर्थात् —

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम (5) (ख) (2) टीप के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

टीप :- ऐसे उम्मीदवार, जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुके हैं किन्तु जिनके परीक्षाफल की सूचना उन्हें नहीं मिली है और जिसे पास करने से, वे छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र बन जायेंगे, वे भी उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे समस्त उम्मीदवार, जो छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिये अर्ह घोषित किये जायेंगे, उन्हें साक्षात्कार के समय अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं किये जाने पर, ऐसे उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) परीक्षा, के साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

No. F 02-23/2012/10-1/Forest.— in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Forest Service (Combined) Examination Rules, 2014, Namely :-

AMENDMENT

In the note given in Clause (5) (b) Eligibility related condition of said rules, the following “note” shall be substituted, namely :-

Note :- Candidates who have appeared for an examination the passing of which would render them educationally qualified for Chhattisgarh State Public Service Commission's Chhattisgarh Forest Service (Combined) Exam, but have not been informed of the results can also submit an application to participate in the said exam. All such candidates who are declared qualified for the interview by the Chhattisgarh State Public Service Commission, will be required to produce proof of passing the requisite examination at the time of interview failing which, such candidates shall not be permitted to attend the interview of Chhattisgarh Forest Service (Combined) Examination.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.